

अपने अधिकारों को जानें: अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा से संबंधित भेदभाव से सुरक्षा

[मैडलिन मोरसेल](#) और कैली जू



अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसे एसीए या ओबामाकेयर के नाम से भी जाना जाता है, अधिकांश स्वास्थ्य सेवा स्थितियों में नस्ल, रंग, मूल देश, अंग्रेजी का सीमित ज्ञान, विकलांगता और उम्र के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना अवैध बनाता है। यह लैंगिक भेदभाव को भी रोकता है। लैंगिक भेदभाव का अर्थ अनुचित व्यवहार हो सकता है क्योंकि आप एक महिला हैं, एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय के सदस्य हैं या गर्भवती हैं। हम आपको अपने अधिकारों को जानने में मदद करना चाहते हैं और अगर उनका सम्मान नहीं किया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है।

इस कानून का पालन कैसे करना चाहिए?

स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति जिसे फ़ेडेरल फंडिंग प्राप्त होती है। इसमें शामिल हैं:

- डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी जैसे स्वास्थ्य सेवा कर्मी और उनके नियोक्ता। उदाहरण के लिए, यदि वे मेडिकेयर या मेडिकेड स्वीकार करते हैं, तो उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा, भले ही आपके पास अलग इंश्योरेंस हो।
- टाइटल 10 परिवार नियोजन क्लीनिक ([अपने नज़दीकी क्लिनिक की यहाँ खोजें](#))।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें फ़ेडेरल फंडिंग मिलती है। ([अपने नज़दीकी क्लिनिक की यहाँ खोजें](#))
- मेडिकेयर, मेडिकेड और मार्केटप्लेस योजनाओं सहित अधिकांश स्वास्थ्य इंश्योरेंस।
- अधिकांश अस्पताल।
- कुछ क्लिनिकल परीक्षण।

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा से संबंधित किस तरह के भेदभाव अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत अवैध हैं?

कानून आपको निम्न प्रकार के भेदभाव से बचा सकता है:

- गर्भपात सहित आपके पिछले, वर्तमान या भविष्य के प्रजनन निर्णयों के आधार पर अनुचित व्यवहार किया जाना।
- आपकी जाति या विकलांगता के कारण गर्भनिरोधक गोलियों या गर्भपात से वंचित किया जाना, भले ही आपकी नर्स अन्य लोगों को यह सेवा प्रदान करती हो।

- आपकी नर्स द्वारा आपके टीनएज पैरेंट होने के कारण या एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण बुरा व्यवहार किया जाना।
- आपकी जाति या सीमित अंग्रेजी कौशल के कारण प्रसव के दौरान चिल्लाया जाना, डांटा जाना या अनदेखा किया जाना।
- आपकी फार्मसी में एचआईवी दवा की रिफिल से वंचित किया जाना, भले ही अन्य इसे रिफिल कर दें।
- किसी स्वास्थ्य स्थिति के लिए आवश्यक दवा के लिए रिफिल से वंचित किया जाना क्योंकि आपके फार्मासिस्ट या डॉक्टर को लगता है कि यह दवा गर्भपात का कारण बन सकती है, भले ही आप गर्भवती न हों।
- ब्रैस्ट या सर्वाइकल कैंसर के लिए परीक्षण से वंचित किया जाना क्योंकि आप विकलांग या ट्रांसजेंडर हैं।
- यौन, प्रजनन या ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा के लिए अनुवादक या दुभाषिय ट्रांसलेटर से वंचित किया जाना।
- आपको जिस सेवा की आवश्यकता है (जैसे एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन) उसके लिए कवरेज से वंचित किया जाना क्योंकि आप ट्रांसजेंडर हैं, भले ही आपका इंशोरेंस उन लोगों के लिए इस सेवा को कवर करता है जो ट्रांसजेंडर नहीं हैं।
- आपको बताया जाना कि आपकी पत्नी आपकी गर्भावस्था के अपॉइंटमेंट पर नहीं आ सकती है जबकि पतियों को अनुमति है।

शिकायत दर्ज करना

अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया, तो आप फ़ेडरल गवर्नमेंट के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब आपको पता चला कि भेदभाव हुआ है, तब से लेकर 180 दिन तक आप मेल, फ़ैक्स, ई-मेल या उनकी [वेबसाइट](#) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा विवरण देने की ज़रूरत नहीं है; कुछ वाक्य ही काफी हैं।

स्वास्थ्य बीमा भेदभाव के लिए, आप अपने राज्य बीमा आयुक्त के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए, राष्ट्रीय बीमा आयुक्त की [वेबसाइट](#) पर जाएँ, अपना राज्य चुनें और उसके उपभोक्ता शिकायत पृष्ठ पर जाएँ।

कुछ लोग जो यौन, प्रजनन और ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा पसंद नहीं करते हैं, वे अदालत में इन सुरक्षाओं पर हमला कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया, तो भी आपको शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

मदद चाहिए?

अगर आपको अपने अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी सहायता की ज़रूरत है, तो आप मुफ्त या कम लागत वाली कानूनी सहायता प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं। [अपने क्षेत्र में एक कानूनी सहायता संगठन खोजें।](#)